

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

प्राथना पत्र नम्बर:-145/2019

श्री राधेश्याम पिता देवी नाई, उम्र बालिग निवासी पौण्डरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—प्रार्थी

बनाम

- 1- श्री बट्टी पिता गोपाल सुथार, उम्र बालिग निवासी पौण्डरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 2- श्री उदा पिता जयराम जाट, उम्र बालिग निवासी पौण्डरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 3- श्रीमति रामू पत्नि रामचन्द्र जाट, उम्र बालिग निवासी पौण्डरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 4- श्री देवकरण पिता देवी नाई, उम्र बालिग निवासी पौण्डरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 5- श्री शंकर पिता मांगू जाट, उम्र बालिग निवासी पौण्डरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 6- श्री लादू पिता अमरचन्द्र जाट, उम्र बालिग निवासी पौण्डरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 7- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-30.08.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पौण्डरास पटवार इल्का रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 390/1 रकबा 1 बीघा, 600/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल कित्ता 2 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ोसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे कस्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 2.7.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 7 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 7 उपस्थित नहीं। विपक्षीगण संख्या 1 से 7 को कितनी ही मर्तवा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 30.8.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया है।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल कस्त करते समय, फसल काटते समय सीमा वावत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ अतः

:: आदेश ::



उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर कि ग्राम पौण्डरास पटवार हल्का रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा में प्लॉट डाल आराजी नम्बर 390/1 रकबा 1 बीघा, 600/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल प्लॉट 2 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, दांथल को 300/-रूपये (तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।


  
(टीना डावी)

आई.ए.एस.

**उपखण्ड अधिकारी**

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में

  
**उपखण्ड अधिकारी**

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

